कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व निमाड़,खण्डवा, (म0प्र0)

Phone- 0733-2226161, E-mail-deokhandwa01@gmail.com

ELECTION PRIORITY

क्रमांक–के/नि.शा./सा0लि0/2018/ 1306 खण्डवा, दिनांक 21/08/2018.

//आदेश//

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/491/पेड न्यूज/2012/मीडिया दिनांक 27 अगस्त 2012 के द्वारा निर्वाचनों के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण रखने के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किये गये है। इस तारतम्य मे भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/491/पेड न्यूज/2012/कम्यूनिकेशन दिनांक 24 जुलाई 2018 तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/25/09/स्वीप/2018/8673 भोपाल दिनांक 30.07.2018 में दिये गये निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण रखे जाने तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणन हेतु जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी का निम्नानुसार गठन किया जाता हैः–

01	**कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी**	अध्यक्ष
02	अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी	सदस्य
03	रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 175–मांधाता	सदस्य
04	रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 176–हरसूद (अजजा)	सदस्य
05	रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 177–खंडवा (अजा)	सदस्य
06	रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 178–पंधाना (अजजा)	सदस्य
07	सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन खण्डवा	सचिव
08	श्री असीम कैथवास प्रसारण अधिकारी, आकाशवाणी केन्द्र, खण्डवा	सदस्य
09	श्री हरेन्द्रनाथ ठाकुर, जिला संवाददाता, दूरदर्शन, खण्डवा	सदस्य

उक्त समिति संदेहास्पद पेड न्यूज के प्रकरणों को चिन्हांकित कर कार्यवाही करेगी तथा समिति द्वारा रिकार्डिंग एवं प्रिंट मीडिया के रिकार्ड का संधारण किया जावेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किये जाने तथा नाम निर्देशन आरंभ होने के दिनांक से उक्त कमेटी कार्यशील होगी।

अधिकांश न्यूज चैनल 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। अतः यह कमेटी 24 घंटे संपूर्ण प्रसारणों की सतत् निगरानी रखेगी। सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन खंडवा (सचिव) द्वारा सभी समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का अवलोकन कर आवश्यक संदेहास्पद कटिंग/पेडन्यूज के प्रकरण मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ मे भेजे जावेंगे। उक्त कमेटी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल एवं इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुये समस्त कार्यवाही समयसीमा में करना सुनिश्चित करेगी।

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–खण्डवा

पृ0 क्रमांक–क/नि.शा./सा0लि0/2018/ 1307 खण्डवा, दिनांक 21/08/2018

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर, मांधाता/हरसूद/खण्डवा/पंधाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व संबंधित श्री.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–खण्डवा

"अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए, अपना और [illegible]"